न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या– 17/2011–12

श्रीमती रेखा नेगी पत्नी पुष्कर सिंह नेगी, निवासी– बी ब्लाक–प्रथम, सरस्वती विहार, अजबपुर खुर्द, जिला देहरादून।

–निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून।

–विपक्षी

अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

बावत

भूमि स्थित ग्राम अजबपुर खुर्द, परगना केन्द्रीय दून, तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी (सदर), देहरादून द्वारा वाद संख्या 17/2011–12 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 21 मई, 2012 के विरूद्ध दायर की गयी है।

वाद से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती रेखा नेगी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1990 के जरिए श्री शिव नन्दन शर्मा पुत्र स्व0 अमीचन्द से ग्राम अजबपुर खुर्द में खसरा संख्या 97 मि0 से 0.12 एकड़ भूमि खरीदी थी। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 34, भू–राजस्व अधिनियम नामान्तरण वाद संख्या 2711/90 कायम हुआ जो दिनांक 28.09.1990 को निस्तारित किया गया।

नामान्तरण के 09 वर्ष बाद निगरानीकर्ता ने धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत खतौनी में शुद्धि का प्रार्थना पत्र दिया। इस बीच ग्राम अजबपुर खुर्द में बन्दोबस्ती कार्यवाही सम्पन्न हुई परन्तु प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान अपने भू–स्वामित्व के संबंध में राजस्व अभिलेखों में शुद्धि करने अथवा सही स्थिति अंकित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि उन्होनें अभिलेख कार्यवाही के दौरान अपने स्वामित्व की भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में शुद्धिकरण अथवा दुरूस्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की।

चूंकि ग्राम अजबपुर खुर्द, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून में हाल ही में बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण हुई है जिसके दौरान समस्त राजस्व अभिलेखों को शुद्ध किया गया है तथा बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर कायम किये गये हैं तो यह मानना होगा कि बन्दोबस्त पश्चात् सभी राजस्व अभिलेख शुद्ध एवं सही हैं। यदि निगरानीकर्ता अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में कोई शुद्धि चाहता था तो उन्हें बन्दोबस्ती कार्यवाही के दौरान आवेदन करना चाहिए था परन्तु निगरानीकर्ता ने न तो इस न्यायालय में और न ही अवर न्यायालय में कोई स्पष्टीकरण दिया है कि उसने बन्दोबस्त के दौरान राजस्व अभिलेखों में कथित अशुद्धि को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कदम उठाये। इसके अतिरिक्त वाद में दाखिल कागजातों को देखने से भी कोई प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि या लोप परिलक्षित नहीं है अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

देहरादून,
31 जुलाई, 2013

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष।